परिशिष्ट- I/APPENDIX-I

नियम3(I)/[Rule 3(1)]

प्रथम नियुक्ति या 1 अगस्त 2014 को संपत्ति तथा देयताओं की विवरणी

(लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 44 के तहत)

**Return of Assets and Liabilities on First Appointment or as on the 1st August, 2014\***

**(under Sec.44 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | लोक सेवक का पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में)Name of the Public servant in full (in block letters)  |  |
| 2. | (ए) वर्तमान में धारित सार्वजनिक पद (पदनाम, नाम तथा संगठन का पता) (a) Present public position held  (Designation, name and address of organization)  |  |
| 3. | (बी) किस सेवा से संबंधित हैं (यदि लागू हो)(b) Service to which belongs (if applicable)  |  |

**घोषणा/Declaration :**

## मैं एतददवारा घोषणा करता/करती हूँ कि लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 44 के प्रावधानों के तहत मेरे द्वारा जो जानकारी देय है उसके संबंध में संलग्न विवरणी अर्थात प्रपत्र 1 से 4 मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के हिसाब से पूर्ण, सत्य तथा सही हैं I

I hereby declare that the return enclosed namely, Forms I to IV are complete, true and correct to the best of my knowledge and belief, in respect of information due to be furnished by me under the provisions of section 44 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013.

दिनांक/Date …………………. हस्ताक्षर/Signature ………………………………….............

# \*प्रथम नियुक्ति के मामले में कृपया नियुक्ति की तारीख दर्शाएं

# \* In case of first appointment please indicate date of appointment.

# **टिप्पणी 1 :** इस विवरणी में लोक सेवक की संपूर्ण संपत्ति तथा देयताओं का ब्यौरा यदि वह उनके अपने नाम पर हो या किसी और व्यक्ति के नाम पर शामिल हो I लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 44(2) के प्रावधानों के अनुसार इस विवरणी में लोक सेवक के पति/पत्नी तथा आश्रित संतानों की संपत्ति तथा देयताओं का ब्यौरा समाविष्ट होना चाहिए I

# **Note 1:** This return shall contain particulars of all assets and liabilities of the public servant either in his/her own name or in the name of any other person. The return should include details in respect of assets/liabilities of spouse and dependent children as provided in Section 44(2) of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013.

 **(धारा 44 (2)** : लोक सेवक शपथ लेने तथा उस पर हस्ताक्षर करने के दिन से या कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 30 दिनों के अंदर निम्नलिखित से संबधित जानकारी सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा :

 **(ए)** संपत्तियाँ, जिसका वह स्वयं उसका पति/उसकी पत्नी तथा उसकी आश्रित संताने संयुक्त रूप से या पृथक रूप से मालिक हैं या हिताधिकारी हैं I

 **(बी)** उसकी स्वयं की, उसके पति/उसकीपत्नी तथा उसकी आश्रित संतानों की देयताएं I )

 **(Section 44(2):**  A public servant shall, within a period of thirty days from the date on which he makes and subscribes an oath or affirmation to enter upon his office, furnish to the competent authority the information relating to –

1. The assets of which he, his spouse and his dependent children are, jointly or severally, owners or beneficiaries;
2. His liabilities and that of his spouse and his dependent children. )

##  **टिप्पणी 2 :** यदि लोक सेवक हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का सदस्य है,जिसे परिवार की संपत्ति में ‘कर्ता’ या सदस्य के रूप में समान उत्तराधिकार प्राप्त है तो उसे ऐसी संपत्ति में उनके हिस्से को रिटर्न में प्रपत्र सं. III में दर्शाना होगा और जहाँ ऐसे हिस्से का वास्तविक मूल्य दर्शाना संभव न हो वहाँ उसका अनुमानित मूल्य दर्शाना होगा I जहाँ भी आवश्यक हो उपयुक्त व्याख्यात्मक टिप्पणी जोडी जाएं I

## **Note 2 :** If a public servant is a member of Hindu Undivided Family with co-parcenary rights in the properties of the family either as a ‘Karta’ or as a member, he should indicate in the return in Form No.III the value of his share in such property and where it is not possible to indicate the exact value of such share, its approximate value. Suitable explanatory notes may be added wherever necessary.

#  **टिप्पणी 3 : ‘**आश्रित संतान’ से तात्पर्य है पुत्र तथा पुत्रियां जो अलग से नहीं कमाते और अपने जीवन यापन के लिए लोकसेवक पर पूरी तरह आश्रित हैं I (लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 44(3) के नीचे स्पष्टीकरण)

#  **Note 3:** “dependent children” means sons and daughters who have no separate means of earning and are wholly dependent on the public servant for their livelihood. (Explanation below Section 44(3) of Lokpal and Lokayuktas Act, 2013.

## परिशिष्ट-II / APPENDIX-II

नियम 3(I)/Rule 3(1)]

## प्रपत्र सं. I/FORM N0.I

##  लोक सेवक, उसके पति/पत्नी एवं आश्रित संतानों का ब्यौरा

##  Details of Public Servant, his/her spouse and dependent children

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| क्र.सं.S.No. |  | नामName | धारित सार्वजनिक पद यदि कोई Public Position held, if any | क्या इनके द्वारा विवरणी अलग से प्रस्तुत की जा रही हैWhether return being filed by him/her, separately |
| 1 | स्वयं / Self  |  |  |  |
| 2 | पति/पत्नी/Spouse  |  |  |  |
| 3 | आश्रित - 1 Dependent-1 |  |  |  |
| 4 | आश्रित - 2Dependent-2  |  |  |  |
| 5\* | आश्रित - 3 Dependent-3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

 \*यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पंक्ति जोड लें I Add more rows, if necessary.

 दिनांक/Date\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ हस्ताक्षर /Signature \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

##  नाम /Name:­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

##

 पदनाम/Designation :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## (3) मूल नियमों के परिशिष्ट 2 में,---

## (3) In the principal rules, in Appendix II,--------------

1. प्ररूप सं. 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात :-
2. for Form No.II, the following Form shall be substituted, namely:-

## **प्ररूप सं. 2/FORM N0.II**

## **पहली नियुक्ति पर या 31 मार्च, 20 को यथाविद्यमान जंगम संपत्ति का विवरण**

## **Statement of movable property on first appointment or as on the 31st March, 20­­­­­­­**\_\_\_\_

## **(स्वयं, पति या पत्नी और आश्रित प्रत्येक बालक के लिए पृथक शीट का प्रयोग करें )**

## **( Use separate sheets for self, spouse and each dependent child. )**

## **लोकसेवक, उनके/उनकी पती /पत्नी एवं आश्रित संतान के नाम I**

##  **(Name of the Public Servant/ Spouse and dependent children).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **क्रम सं. S.No.** | **विवरण / Description** | **टिप्पणियां, यदि कोई हों/ Remarks, if any** |
| (i)\* | नकदी और बैंक में अतिशेष : Cash and bank balance : |  |
| (ii)\*\* | (बीमा संदत्त प्रीमियम) : Insurance (premia paid) : |  |
|  | नियत/आवर्ती जमा : Fixed / Recurring Deposit(s) : |  |
|  | शेयर/बाँड : Shares/Bonds : |  |
|  | पारस्परिक निधि (निधियां) : Mutual Funds(s) |  |
|  | पेंशन स्कीम/भविष्य निधि : Pension Scheme/Provident Fund : |  |
|  | अन्य विनिधान, यदि कोई हों : Other Investments, if any : |  |
| (iii) | किसी व्यक्ति या अस्तित्व जिसके अंतर्गत फर्म, कंपनी, न्यास आदि भी है को दिया गया व्यक्तिगत ऋण/अभिदाय (एडवांस) और ऋणियों से प्राप्त अन्य प्राप्तियां और रकम (यथास्थिति, दो मास का मूल वेतन या एक लाख रूपए से अधिक ) : Personal loans/advance given to any person or entity including firm, company, trust, etc. and other receivables from debtors and the amount (exceeding two months basic pay or Rupees one lakh as the case may be) : |  |
| (iv) | मोटर वाहन (निर्माण, रजिस्ट्रीकरण संख्या, क्रय करने का वर्ष और संदत्त रकम के ब्यौरे) : Motor Vehicles (Details of Make, registration number, year of purchase and amount paid) : |  |
| (v) | आभूषण [अनुमानित भार (सोना बहुमूल्य रत्न की बाबत 10 ग्राम अधिक या कम चांदी की बाबत 100 ग्राम अधिक या कम I)] : Jewellery [Give details of approximate weight (plus or minus 10 gms. in respect of gold and precious stones plus or minus 100 gms. in respect of silver)] : |  |
|  | सोना : Gold : |  |
|  | चांदी : Silver : |  |
|  | बहुमूल्य धातूएं और बहुमूल्य रत्न : Precious metals and precious stones : |  |
|  | मिश्रित मदें :(अनुमानित मूल्य उपदर्शित करें) Composite items :(indicate approximate value)**\*\*\*** |  |
| (vi) | कोई अन्य आस्ति उपरोक्त (I) से (V) के अंतर्गत न जानेवाली जंगम आस्तियों के ब्यौरे दे I1. फर्नीचर
2. फिक्सचर
3. प्राचींग वस्तुएं
4. रंगचित्र (पेंटिंग)
5. इलैक्ट्रानिक उपस्कर
6. अन्य

(किसी प्रवर्ग की बाबत ब्यौरे तभी उपदर्शित करें विशिष्ट प्रवर्ग(अर्थात फर्नीचर, फिक्सचर, इलैक्ट्रानिक उपस्कर आदि) में सम्मिलित किसी विशिष्ट आस्ति का कुल वर्तमान मूल्य, यथास्थिति, दो मास के मूल वेतन या **1**.**00** लाख रूपए से अधिक हो) Any other assets [Give details of movable assets not covered in (i) to (v) above] :1. Furniture
2. Fixtures
3. Antiques
4. Paintings
5. Electronic equipments
6. Others

[Indicate the details of an asset, only if the total current value of any particular assets in any particular category (e.g. furniture, fixtures, electronic equipments, etc.) exceeds two months’ basic pay or **Rs.1.00** lakh as the case may be] |  |

तारीख/Date……………………………… हस्ताक्षर/Signature………………………………………….....

**\***विदेशी बैंक (बैंको) में जमाओं के ब्यौरे पृथक रूप से दिए जाएंगे I

**\***Details of deposits in the foreign Bank(s) to be given separately.

\*\*2 लाख रूपए से अधिक के विनिधानों व्यक्तिगतरूप से रिपोर्ट किए जाएंगे I 2 लाख रूपए से कम के विनिधान एक साथ रिपोर्ट किया जा सकता है I

**\*\***Investment above Rs.2 lakhs to be reported individually. Investments below Rs. 2 lakhs may be reported together.

**\*\*\***पहली विवरणी में उपदर्शित मूल्य को पश्चातवर्ती विवरणियों में पुनरीक्षित करने की आवश्यकता नहीं है जहां तक सुसंगत वर्ष के दौरान कोई नई संयुक्त मद अर्जित नहीं की गई हो या किन्हीं विद्यमान मदों का निपटारा नहीं किया गया हो I

**\*\*\*** Value indicated in the first return need not be revised in subsequent returns as long as no new composite item had been acquired or no existing items had been disposed of, during the relevant year.”

## प्रपत्र सं.III/FORM No.III

## प्रथम नियुक्ति पर या 1 अगस्त 2014 को लोक सेवक, उनके पति/उनकी पत्नी तथा आश्रित संतानों

## द्वारा धारित अचल संपत्ति का विवरण (उदा. भूमि, घर, दुकानें, अन्य बि‍ल्डिंगें आदि)

## Statement of Immovable property on first appointment or as on the 1st August, 2014

## (e.g. Lands,House,Shops, Other Buildings, etc.)

## लोकसेवक, उनके/उनकी पती /पत्नी एवं आश्रित संतान द्वारा धारित

## (Held by Public Servant, his/her spouse and dependent children)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| क्र.सं.SrNo. | संपत्तिकाविवरण(भूमि/घर/फलैट/दुकान/औद्यो-गिकआदि)Descri-ption ofprop-erty(Land/House/Flat/Shop/Industrialetc.) | वास्तविकस्थान(जिले,प्रभाग,तालुका,गांव कानाम जिसमेंसंपत्तिस्थित हैतथा उसकाविशिष्टक्रमांकआदि)(Precise Location(Name of District, Division,Taluka and Village in which the property is situatedand also in distinctive number,etc.) | भूमि काक्षेत्रफल(भूमितथाबिल्डिंगकेमामलेमें)Area ofLand (In case oflandandbuild-ings) | भूमि केरूप मेंसंपत्तिकेमामलेमें भूमिकास्वरूपNatureof landin caseoflanded prope-rty | उसमेंआपकाहिस्साExtentofInter-est | यदि लोकसेवक केनाम पर नहो तोबताएं किकिसके नामपर धारितहै तथालोक सेवकके साथउनकारिश्ता,यदि कोईहोIf not inname ofpublicservant,state inwhosename heldand his/her relation-ship, ifany tothe public servant | अर्जनकीतारीखDateofacquisition | कैसे अर्जित की(खरीदी, गिरवी,पटटे पर, विरासत में मिली, उपहार या अन्य) जिस व्यक्ति/जिन व्यक्तियाँ से अर्जित की उनका नाम तथा अन्य विवरण (पता, संबंधित व्यक्ति से सरकारी कर्मचारी का संबंध, यदि कोई हो) (कृपया नीचे दी गई टिप्पणी 1 देखें) तथा अर्जन का मूल्यHow acquired (whether by purchase, mortgage, lease, inheritance, gift or otherwise) and namewith detailsof person/persons from whom acquired (address and connection of the Govt. servant if any, with the person/persons concerned) (Please seeNote 1 below) and cost of acquisition. | संपत्ति का वर्तमान मेंमूल्य(यदि सहीमूल्य पतान हो तो,अनुमानितमूल्यबताएं) Present value of the property (if exact value not known, approx value may be indicated) | संपत्तिसे कुलवार्षिकआयTotal annual Income fromthe Prop-erty | अभ्युक्तियांRemarks |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**दिनांक/Date :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ हस्ताक्षर/Signature\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**: 2 :**

**टिप्पणी 1**: कॉलम 9 के संदर्भ में, पटटे पर का मतलब हैं वर्ष दर वर्ष अचल संपत्ति का पटटे पर होना या एक वर्ष से अधिक किसी भी अवधि के लिए पटटे पर होना या वार्षिक किराया प्राप्त होना तथापि जिस मामले में अचल संपत्ति ऐसे व्यक्ति से पटटे पर ली गई हो जिसका सरकारी कर्मचारी के साथ सरकारी लेन-देन हो, उस मामले में उक्त कॉलम में ‘पटटेपर’ लेन-देन का ब्यौरा दिया जाना चाहिए फिर चाहें उसकी अवधि कम हो या ज्यादा I साथ ही किराए के भुगतान की आवधिकता भी दी जानी चाहिए I

**Note 1:** For purpose of Column 9, the term “lease” would mean a lease of Immovable property from year to year or for any term exceeding one year or reserving a yearly rent. Where, however, the lease of Immovable property is obtained from a person having official dealing with the Government servant, such a lease should be shown in this column irrespective of the term of the lease, whether it is short term, or long term and the periodicity of the payment of rent.

##  **(ख) प्ररूप सं. IV के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात :-**

## **(a) for Form No. IV, the following Form shall be substituted, namely:-**

**प्ररूप सं. 4/FORM No.IV**

**पहली नियुक्ति पर या 31 मार्च, 20…………………. को यथाविद्यमान ऋणों और अन्य दायित्वों का विवरण**

 **Statement of Debts and Other Liabilities on first appointment or as on 31st March, 20………**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| क्र.सं.S.No. | ऋणी (स्वंय/पति या पत्नी या आश्रित बालक)Debtor (Self/Spouse or dependent children) | लेनदार का नाम और पत्ताName and Address of Creditor | ऋण/दायित्व की प्रकृति और रकमNature of debt/liability and amount | टिप्पणियां Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

दिनांक/Date\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ हस्ताक्षर/Signature\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# **टिप्पण 1** : उधारों की व्यष्टिक मदों की जो दो मास के मूल वेतन से अधिक नहीं हैं (जहां लागू हों) और अन्य दशाओं में 1.00 लाख रूपये है, सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता नहीं है I

#  **Note 1 :** Individual items of loans not exceeding two months basic pay (where applicable) and Rs.1.00 lakh in other cases need not be included.

# **टिप्पण** 2 : विवरण में बैंको, कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं, केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार से और व्यष्टियों से विभिन्न ऋणों और अभिदायों (एडवांसों)को सम्मिलित करना होगा I

#  **Note 2 :** The statement should also include various loans and advances (exceeding the value in Note 1) taken from banks, companies, financial institutions, Central/State Government and from individuals.